रजिस्ट्री सं. डी. (डा. एम.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

CK 27/3/86

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 561] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 26, 1985/पौष 5, 1907
No. 561] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26, 1985/PAUSA 5, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 दिसंबर, 1985

अधिसूचना

सा. का. नि. 938(अ)—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 1985 (1985 का 77) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 26 दिसंबर, 1985 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. 10/40/85-एम एंड जी]
ए. के. बसाक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 26th, December, 1985

NOTIFICATION

G.S.R. 938 (E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the President's Pension (Amendment) Act, 1985 (77 of 1985), the Central Government hereby appoints the 26th day of December 1985, as the date on which the said Act shall come into force.

[F. No. 10/40/85-M&G]
A.K. BASAK, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985